अब तक की सबसे बड़ी आवासीय योजना

पृथ्वीराज नगर योजना

माकड़वाली रोड़, अजमेर

1. प्रस्तावना :—

पृथ्वीराज नगर योजना माकड़ीवाली रोड़ व चौरसियावास के मध्य एवं न्यास की विकसित पंचशील कॉलोनी के सामने स्थित न्यास की बहुउद्धेशीय योजना है, जो 1435 बीघा भूमि में स्थित है। इस योजना को चार भागों में विभाजित किया गया हैं। बहुउद्धेशीय पृथ्वीराज नगर योजना में अजमेर की जनता को सभी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवानें के ध्येय को न्यास द्वारा सर्वोपरि रखा गया है। इस योजना में 200 फिट चौड़ा रिंग रोड़ प्रस्तावित है। पृथ्वीराज नगर योजना अजमेर रेल्वे स्टेशन से लगभग 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इस योजना में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध होगी :—

1. पार्क
2. पेयजल वितरण व्यवस्था
3. विद्युत विरण व्यवस्था
4. दुकाने, शॉपींग मॉल एवं सिटी सेन्टर
5. विद्यालय के लिए स्थान
6. पोस्ट ऑफिस
7. सामुदायिक भवन

2. पृथ्वीराज नगर योजना के प्रथम चरण में प्रस्तावित भूखण्डों का विवरण :—

भूखण्डों का क्षेत्रफल		भूखण्डों
साईज	वर्ग गज	
15' x 30'	50.00	121
20' x 50'	111.11	83
25' x 50'	138.88	216
30' x 60'	200.00	132
40' x 70'	311.11	14
40' x 90'	400.00	22
50' x 90'	500.00	42
योग		**630**

नोट : लॉटरी के लिये उपलब्ध भूखण्डों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।

3. **आवंटन हेतु पात्रता :–**

1. राजस्थान का मूल–निवासी ।
2. आयु 18 वर्ष से अधिक।
3. आवेदक की पत्नी/पति अथवा आपके परिवार के सभी सदस्य या उस पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (50,000 से अधिक आबादी) में कोई आवासीय भूखण्ड या मकान (लीज होल्ड अथवा फ्री होल्ड पर नहीं होना चाहिये।)

4. **आरक्षित दर :–**

1472/– रूपये प्रति वर्ग गज

5. **भूखण्ड की कीमत एवं मात :–**

भूखण्डों की कीमत एवं क्षेत्रफल आवेदक की प्रमाणित मासिक कुल आय (पति/पत्नी एवं आश्रित की आय) पर निर्भर है। आवेदकों के आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय को सम्मिलित कर की जायेगी। कुल आय में निम्नांकित स्त्रोंतो से हुई आय सम्मिलित होगी :

1. वेतन, विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता एवं देय अन्य भत्ते।
2. गृह/सम्पत्ति/व्यापार/विनियोग से ब्याज।
3. कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजन हेतु आय के रूप में सम्मिलित करने योग्य हो।

मासिक आय (पति/पत्नी एवं आश्रित की आय) के आधार पर भूखण्ड हेतु पात्रता एवं देय कीमत तालिका में दर्शायी गई है। निर्धारित प्रपत्र में ही आय प्रमाण–पत्र मान्य होगा। वेतन स्लिप एवं अन्य प्रपत्र मान्य नहीं होंगे एवं आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण राशि निम्न तालिका अनुसार देय है :–

1. सचिव, नगर सुधार न्याय, अजमेर के नाम से केवल बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर/ बैंकर्स चैक (जो देय) से चालान द्वारा जमा करायी जा सकती है। नकद/चैक स्वीकार नहीं होंगे।

2. पे–आर्डर/ड्राफ्ट के पीछे आवेदक का नाम, फार्म संख्या एवं आवेदक की श्रेणी आवश्य रूप से अंकित करें।

आवेदक के वर्ग के अनुसार निर्धारित पंजीकरण राशि से कम राशि जमा होने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

जिन आवेदकों के नाम लॉटरी में भूखण्ड नहीं निकलेगा, उन असफल आवेदकों को जमा राशि (पंजीकरण शुल्क जिस बैंक में जमा कराया जाएगा उसी बैंक से) वापस लौटा दी जायेगी।

तालिका – 1

आवेदक का वर्ग	कुल आय सीमा (प्रति माह)	भूखण्ड का क्षेत्रफल		भूखण्डों की संख्या	देय आरक्षित दर	पंजीयन शुल्क
		साईज	वर्ग गज			
ए	4000/– तक	15' x 30'	50.00	60	आरक्षित दर से 25 प्रतिशत पर	5000/-
बी	4001/– से 6000/– तक	15' x 30'	50.00	61	आरक्षित दर से 60प्रतिशत पर	5000/-
सी	6001/– से 12000/– तक	20' x 50'	111.11	83	आरक्षित दर पर	10000/-
डी	6001/– से 12000/– तक	25' x 50'	138.88	216	आरक्षित दर पर	15000/-
ई	12001/– से 20000/– तक	30' x 60'	200.00	132	आरक्षित दर के 115 प्रतिशत पर	20000/-
एफ	12001/– से 20000/– तक	40' x 70'	311.11	14	आरक्षित दर के 115 प्रतिशत पर	20000/-
जी	20001/– से 30000/– तक	40' x 90'	400.00	22	आरक्षित दर के 130 प्रतिशत पर	25000/-
एच	20001/– से 30000/– तक	50' x 90'	500.00	42	आरक्षित दर के 130 प्रतिशत पर	30000/-
		योग		**630**		

नोट :

1. लॉटरी के लिए उपलब्ध भूखण्डों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।

2. एक आवेदक उपरोक्त किसी एक ही वर्ग (आय के अनुसार) के भूखण्डों के पंजीयकरण के लिए आवेदन कर सकता है। एक से अधिक आवेदन करने की स्थिति में समस्त आवेदन फार्म निरस्त कर दिये जाएंगे।

3. कॉनर्र के भूखण्डा लॉटरी सम्मिलित नहीं किए जावेंगे।

6. **भूखण्डों का आरक्षण :–**

विभिन्न श्रेणीयों के व्यक्तियों के लिए भूखण्ड आरक्षण की तालिका नीचे दी गयी है। जो व्यक्ति श्रेणी के अंतर्गत भूखण्ड हेतु आवेदन करेंगे। उन्हे उसी श्रेणी के लिए लॉटरी में सम्मिलित किया जावेगा। किसी अन्य में उनका कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आरक्षित भूखण्ड

राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों में कर्मचारी	सैनिक / सेवानिवृत सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं एवं आश्रित	अनु. जाति	अनु. जनजाति	विकलांग	अधिस्वीकृत पत्रकार	सामान्य श्रेणी
18%	10%	9%	6%	2%	2%	53%

स्पष्टीकरण :

1. जो व्यक्ति राजस्थान सरकार / राजस्थान स्थित विश्वविद्यालय / राज्य के स्थानीय निकायों व राजस्थान सरकार के उपक्रमों के अधीनस्थ कार्यरत है तथा राजस्थान के वास्तविक निवासी है। उन्हीं को राज्य कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को अपने नियोजक / विभागाध्यक्ष को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2 केन्द्रीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये आरक्षित भूखण्डों के लिये आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।

3. अनु. जाति / अनु. जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है जो राजस्थान की जनगणना में अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के रूप मं सूचीबद्ध है। ऐसे व्यक्ति को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

4. सैनिक का अर्थ थल, जल, वायुसेना, बी.एस.एफ.,सी.आर.पी.एफ. एवं सी.आई.एस.एफ. में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत कर्मचारी् / अधिकारी से है।

5. सैनिक की विधवायें वे हैं जिनके पति की मृत्यु क्रम सं. 4 में अंकित सेवाओं में रहते हुये सेवा काल के दौरान हुई हो।

6. अधिस्वीकृत पत्रकार वे हैं जिन्हें राजस्थान/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिकृत पत्रकार की मान्यता दी गई हों।

7. विकलांग व्यक्ति वे हैं जो शारिरिक अयोग्यता के कारण विकलांग हो चुके है तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित है।

8. किसी भी आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उस वर्ग के शेष भूखण्डों का आवंटन सामान्य श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदकों को किया जायेगा।

9. 40000/– रूपये से अधिक मासिक आय वाले आवेदको को भूखण्डों के आवंटन में किसी प्रकार के आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

10. आवेदनकर्ता की मासिक आय आवेदित वर्ग से अधिक अथवा कम होने की स्थिति में आवेदन फार्म निरस्त कर दिया जावेगा।

7. भूखण्ड मूल्य की भुगतान प्रक्रियाः

पंजीयन राशि को समायोजित करने के पश्चात् शेष बकाया राशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में नकद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा सचिव, नगर सुधार न्यास, अजमेर के नाम से एक मुश्त जमा करानी होगी।

नोट–

1. निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं होने की स्थिति में आगामी 60 दिवस तक 15 प्रतिशत ब्याज सहित जमा कराई जा सकती है किन्तु ब्याज आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से देय होगा।

2. आवंटन–मांग पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिवस में नजराना राशि जमा न होने की स्थिति में भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

8. भूखण्ड की कीमत के अलावा अन्य जमा कराने योग्य राशिः

1. आवंटी को निर्धारित दर से वार्षिक शहरी जमा बन्दी (अरबन असेसमेंट) अगले वित्तिय वर्ष के लिए, अग्रिम रूप से प्रतिवर्ष 31 मार्च तक जमा करानी होगी। शहरी जमाबन्दी वर्तमान आरक्षित दर की सवा प्रतिशत प्रथम पांच वर्ष के लिए एवं इसके बाद ढाई प्रतिशत प्रतिवर्ष देय है। यह राशि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रेल से पूर्व जमा नहीं

होने की स्थिति में नियमानुसार ब्याज/शास्ति देय होगी। प्रथम वर्ष की शहरी जमाबन्दी की राशि अग्रिम जमा करानी होगी। इस राशि के प्रतिवर्ष भुगतान से मुक्त होने के लिये ढाई प्रतिशत की दर से 8 वर्ष की एक मुश्त रकम जमा करानी होगी।

2. राज्य सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा समय–समय पर जो भी कर/किराया आदि तय करती है वह आप पर भी लागू होगा। आप पर राज्य सरकार एवं नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा समय–समय पर प्रसारित नियम आदेश भी लागू होगें।

9. अन्य महत्वपूर्ण शर्ते–

1. एक से अधिक भूखण्ड के लिए आवेदन करना वर्जित है। ऐसा करने पर सभी आवेदन पत्र निरस्त कर जमा अग्रिम राशि जब्त कर ली जावेगी।

2. यदि आवेदक स्वयं, पति/पत्नि एवं आश्रित सदस्यों द्वारा योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किये जाते है एवं लॉटरी में एक से अधिक सदस्य सफल होते है तो भूखण्ड ऐ ही व्यक्ति को मिलेगा एवं शेष परिवार/आश्रित सफल आवेदकों के भूखण्ड आवंटन नहीं किये जावेगें एवं जमा राशि में से 5 प्रतिशत राशि काट कर लौटा दी जावेगी।

3. भूखण्ड 99 वर्ष की जीज पर आवंटित किये जावेगें।

4. सामान्यतः आवंटी, आवंटित भूखण्ड के पट्टे का 10 वर्ष की अवधि तक विक्रय अथवा हस्तान्तरण नहीं कर सकता है, किन्तु यदि कोई व्यक्ति भूखण्ड को 10 वर्ष से पूर्व विक्रय करना चाहता है तो ऐसे विक्रय के लिए उससे योजना की प्रचलित आरक्षित दर की 5 प्रतिशत की दर से शुल्क वसूल कर नियमानुसार हस्तान्तरण की अनुमति दे दी जायेगी। परन्तु यदि आवंटी आवंटन की तिथि से 10 वर्षो की समाप्ति से पूर्व अपने भूखण्ड अथवा मकान को अन्तरण करता है, तो ऐसा आवंटी भविष्य में रियायती दर पर आवंटन के लिए हकदार नहीं होगा।

5. लीज डीड के पंजीयन का खर्चा स्वयं को वहन करना होगा तथा उसके पश्चात् ही भूखण्ड का भौतिक कब्जा दिया जायेगा।

6. भूखण्ड आवंटी को, भूखण्ड आवंटन के पांच साल की अवधि में भवन निर्माण पूर्ण कराना होगा। अगर आवंटी द्वारा नियत समयावधि में मकान का निर्माण नहीं कराया गया तो भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरसत समझा जावेगा तथा आवंटी भविष्य में

भूखण्ड आवंटन का पात्र नहीं होगा। साथ ही उसके द्वारा जमा कराई गई राशि भी जब्त समझी जावेगी।

7. आवंटन में प्राप्त भूखण्ड केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेगा, अन्य किसी प्रयोजन में नहीं। आवंटन किए गए भूखण्ड– को विभाजित अथवा एकाधिक भूखण्ड को मिलाकर एक बडा भूखण्ड नहीं बनाया जा सकेगा।

8. नियम विरूद्ध एवं गलत सूचना देने पर आवेदन पत्र/आवंटन निरस्त किया जाकर भूखण्ड की जमा करायी गई राशि जब्त कर ली जावेगी तथा उन्हें भविष्य में आवासीय भूखण्ड के लिए आवेदन करने हेतु अयोग्य धोषित कर दिया जावेगा। साथ ही ऐसे आवेदनकर्ताओं के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

9. न्यास बिना सूचना दिए भूखण्ड के आवंटन की शर्त बदलने का अधिकार रखता है।

10. किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के सम्बन्ध में न्यायिक क्षेत्राधिकार अजमेर ही होगा।

11. इस योजना में भूखण्डों की खरीद हेतु बैंकों/वित्तिय संस्थाओं से ऋण सुविधा उपलब्ध हेा सकेगी।

12. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, न्यास का निर्णय अन्तिम होगा।

10. आवेदन पत्र प्राप्त करने की विधि–

आवेदकों के लिए फार्म जमा कराने हेतु विशेष सुविधा निम्न बैंकों से उपलब्ध कराई जायेगी–

आवेदन पत्र इस पुस्तिका के साथ दिया हुआ है और यह पुस्तिका निम्नांकित 11 बैंकों की विभिन्न वर्णित शाखाओं से रूपये 100/– नकद जमा करा कर प्राप्त की जा सकती है।

क्र.सं. बैंक का नाम

1. आई.डी.बी.आई बैंकः

   राजस्थान की समस्त शाखायें।

2. यू.टी.आई. बैंकः

   1. जयपुर रोउ, अजमेर

3. यूकों बैंकः

   1. पुरानी मण्डी, अजमेर 2. श्रीनगर रोड, अजमेर 3 स्टेशन रोड, अजमेर

5. डी.ए.वी. कॉलेज, अजमेर

4. राजस्थान बैंक

1. बोर्ड परिसर शाखा, अजमेर 2. रोडवेज बस स्टेण्ड, अजमेर 3. वैशाली नगर, अजमेर 4. स्टेशन रोड, अजमेर 5. मेयो कॉलेज, अजमेर 6. केकडी 7. विजयनगर, 8. ब्यावर, 9. बांदनवाडा 10. पुष्कर 11. मदनगंज – किशनगढ़ 12. कृषि उपज मण्डी, किशनगढ़ 13. किशनगढ़ सिटी, किशनगढ़

5. देना बैंक

1. आगरा गेट, अजमेर 2. न्यास विस्तार पटल, अजमेर

6. बैक आफ इण्डिया

1. अजय नगर ब्रांच, अजमेर, 2. सेंट फ्रांसिस अस्पताल के पास, अजमेर 3. पुष्कर रोड़, 4. किशनगढ़

7. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंकः

1. पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर 2. शास्त्री नगर, अजमेर 3. किशनगढ 4. नोसला, 5. आकोडिया 6. कुचिल, 7. नसीराबाद 8. लोहाखान, 9. सराना, 10. गोयला, 11. केकडी 12. कालेडा (कृष्ण गोपाल) 13. मेहरूकलां 14. नागोला 15 विजयनगर, 16 ब्यावर, 17. सूरतपुरा 18 पुष्कर 19. रामगढ 20 मोहनपुरा

8. बैंक ऑफ महाराष्ट्र :–

(1) पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर

9. भारतीय स्टेट बैंक :–

1. कलेक्ट्रेट ब्रांच, अजमेर 2. राजकीय महाविद्यालय, अजमेर 3. जे.एल.एन. मेडीकल कॉलेज, अजमेर 3. रिजनल इंस्टिट्युट ऑफ एज्युकेशन, अजमेर, 5. पुथ्वीराज मार्ग, अजमेर 6. ग्रुप सेक्टर 1, सी.आर.पी.एफ., अजमेर 10. डिग्गी बाजार, अजमेर 11. उच.उम.टी. ब्रांच, अजमेर

10. पंजाब नेशनल बैंक :–

1. कचहरी रोड़, अजमेर 2. नगरा, अजमेर 3. रामगंज, अजमेर 4. फॉयसागर रोड़, अजमेर 5. आशागंज अजमेर 6. सिनेमा रोड़ अजमेर 7. पुष्कर 8. ब्यावर 9. किशनगढ़

11. दी अजमेर अरबन कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड :–

1. केसरगंज, अजमेर

11. आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि :–

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र, बैंक कार्य दिवसों में जमा कराने की अंतिम तिथि 13 जून 2007 दोपहर 4.00 बजे तक ऊपर, क्र.सं. 10 में अंकित बैंको की किसी भी शाखा में जमा करवायें जा सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ तालिका–2 के अनुसार सचिव, नगर सुधार न्यास, अजमेर के नाम का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे–ऑर्डर मय भरे हुए चालान संलग्न होना आवश्यक है।

12. आवेदन पत्र वापस लेने की विधि :–

यदि कोई आवेदक पंजीकरण निरस्त कराना चाहता है, अथवा आवेदन पत्र में गलत तथ्य प्रस्तुत करने के कारण आवेदन पत्र होने की स्थिति में पंजीकराण राशि में से 5 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि उसको लौटा दी जावेगी।

13. अन्य निर्देश :–

1. कृपया आवेदन पत्र में आपका एवं आपके पिता/पति का नाम और पता स्पष्ट एवं मोटे अक्षरों में लिखें, संयुक्त नाम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
2. आपकी सकल मासिक आय के आधार पर तालिका–1 से यह तय कर सकते है कि आप किस वर्ग के अतंर्गत आते है। इसके आधार पर आपको आवेदन पत्र में वर्ग (ए,बी,सी,डी,ई,एफ,जी अथवा एच) चिन्हित करना है। यदि आप आरक्षित भूखण्डों पात्रता रखते हैं तो अपनी श्रेणी को आवेदन पत्र में अंकित करें एवं सही बॉक्स को चिन्हित करें। आरक्षण की पात्रता केवल एक श्रेणी में दी जावेगी। साथ ही आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग भरे जाने पर न्यास उसे किसी भी वर्ग में सम्मिलित करने हेतु स्वतंत्र होगा ऐसी स्थिति में उस वर्ग के भूखण्ड आवंटन नहीं होने पर, न्यास की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
3. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

1. सक्षम अधिकारी/नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित निर्धारित प्रारूप में वर्णित शपथ पत्र (शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं होने पर आवेदन पत्र निरस्तनीय होगा।) शपथ्रा पत्र में वर्णित तथ्य गलत व झूठा पाये जाने पर शपथकार्ता के विरूद्ध नियामानुसार आपराधिक कृत्य के लिये कार्यवाही की जावेगी।

2. पंजीकरा राशि के बैंकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट की मुल एवं फोटो प्रति।

4. आवेदन पत्र के साथ ऊपर वर्णित दस्तावेजों के अतिरिक्त कोई दस्तावेज संलग्न नहीं करता है। आवेदक के भूखण्ड आवंटन हेतु निकाले जाने वाली लॉटरी में सफल होने की स्थिति में आवंटन–मांग पत्र की देय राशि के साथ आवेदन पुस्तिका में वर्णित प्रपत्रों में वांछित आय प्रमाण–पत्र, आरक्षण वर्ग सम्बन्धी प्रमाण पत्र इत्यादी प्रमाण पत्र आवंटन–मांग पत्र जारी होने की दिनांक से एक माह की अवधि में न्यास में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उक्त दस्तावेजों की समुचित जॉच के पश्चात् ही सफल आवंटियों को कब्जा पत्र जारी किये जायेंगे।

5. कृपया चालान की सभी प्रतियों में आपसे संबंधित जानकारी अवश्य भरें।

6. आवेदन पत्र पर राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित फोटो अवश्य चिपकाये।

7. सभी प्रमाण पत्रों के प्रारूप इस पुस्तिका में पीछे दिये गये है तथा प्रमाणक अधिकारी की श्रेणी व पद भी प्रारूप में दर्शाये गये है। आवेदन पत्र पर आवेदक अपने हस्ताक्षर अवश्य करें। भविष्य में किये जाने वाले किसी भी पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र का क्रमांक अवश्य अंकित करें। आपके पते में हुये परिवर्तन की सूचना सचिव, नगर सुधार न्यास, अजमेर को अवश्य भिजवायें।

14. आवेदन पत्र जमा कराने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं को सुनिश्चित कर ले :–

1. आवेदन पत्र सही रूप से भरें।

2. आवेदन कर्ता का नाम, पता, आय वर्ग, श्रेणी स्पष्ट रूप से भरा हुआ होना चाहिये।

3. आयवर्ग के अनुसार पंजीकरण राशि का डी.डी./पे–आर्डर/बैंकर्स चैक, सचिव, नगर सुधार न्यास, अजमेर के नाम अजमेर मे देय एवं डी.डी./पे–आर्डर/बैंकर्स चैक के पीछे आवेदनकर्ता का नाम व फार्म व फार्म नं. व श्रेणी अवश्य अंकित कर निर्धारित चालान फार्म के साथ संलग्न करें एवं उसकी फोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

4. आवेदनकर्ता का फोटो राजपत्रित अधिकारी/नोटिस पब्लिक से सत्यापित करावें।

5. आवेदनकर्ता का वर्ग/पंजीकरण राशि के अनुसार सही अंकित करें। गलत आयवर्ग चिन्हित करने पर आवेदक को लॉटरी में भूखण्ड निकलने के बावजूद आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

6. आवेदन फॉर्म में निर्धारित कॉलम में आवेदक का बैंक खाता सं., बैंक का नाम एवं शाखा का नाम तथा बैंक का एम. आई.सी.आर. नं. आवश्यक रूप से अंकित करें, ताकि लॉटरी में असफल रहने पर आवेदक को उसकी पंजीकरण राशि के रिफन्ड में कोई परेशानी न हों

सचिव

नगर सुधार न्यास, अजमेर

शपथ पत्र

मैं .... पुत्र/पत्नी/पुत्री .... आयु.............
.... निवासी ....
.... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :–

1. यह कि मेरे या मुझ पर आश्रित के पास राजस्थान के 50,000 से अधिक आबादी वाले किसी कस्बा/शहर में कोई पूर्ण अथवा अपूर्ण, लीज होल्ड फ्री होल्ड आवासीय भूखण्ड अथवा मकान नही हैं तथा में राजस्थान का/की मूल (बोनाफाइड) निवासी हूँ।
2. यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया हैं तथा मेंरी सकल आय .... प्रति माह है। मैं अपने आय वर्ग अनुसार निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर रहा/ रही हूँ, जिस हेतु प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेंगे में पेश कर दूंगा/दूंगी।
3. यह कि मैंने सामान्य/आरक्षित श्रेणी (राज्य कर्मचारी/सैनिक/अनु.जाति/अनु. जनजाति/विकलांग/अधिस्वीकृत पत्रकार) में आवेदन कि मैं पात्रता रखता/रखती हूँ।
4. यह कि मेरे द्वारा पूर्व में रियायती दर पर भूखण्ड/मकान का आंवटन की तिथि से 10 वर्षों की समाप्ति से पूर्व अन्तरण किया गया है।
5. फार्म में क्र. 13 (3) में वर्णित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मुझे आंवटित भूखण्ड निरस्त किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं .... पुत्र/पत्नी/पुत्री..
............शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पत्नी/पुत्री .... ने उपरोक्त शपथ पत्र मेरे सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर आज दिनांक .... को ली है।

हस्ताक्षर मय सील

प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक

मजिस्ट्रेट/नोटेरी पब्लिक

(शपथ पत्र 10/—रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होने चाहिये एवं नोटेरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी दण्डनायक अथवा कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।)

(नोट : जो लागू न हो उसे काट दें।)

अनुसुचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण – पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ....पुत्र/पत्नी/पुत्री .... निवासी................................. ...जिला.......................... सम्भाग............................... राज्य..जाति .... के सदस्य है जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति (सूचि) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल हैं।

हस्ताक्षर

तहसीलदार

(कार्यालय की मोहर)

सैनिक/सैनिक पर आश्रित एवं सैनिक की विधवाओं हेतु

(आय प्रमाण – पत्र के लिये मान्य नहीं होगा)

यह कि प्रमाणित किया जाता है कि ....(रैंक)..(नाम)... ....(नम्बर)..

(अ) यह वर्तमान में भारतीय थल/जल/वायुसेना/सीमा सुरक्षा बल/ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सी.आई.एस.एफ. कार्यरत हैं। इसकी मासिक आय रूपये... .... प्रतिमाह हैं।

(ब) ये सशस्त्र सेनाओं/सुरक्षा बलों से सेनानिवृत के समय इनकी मासिक आय रूपये .... प्रतिमाह थी।

(स) इनकी मृत्यु के समय मासिक आय रू. .... प्रतिमाह थी। इन्होंने अभी तक पुनर्विवाह नहीं किया है।

स्थान : कमान्डिंग ऑफिसर/

दिनांक : सक्षम अधिकारी/सचिव,

सैनिक बोर्ड के हस्ताक्षर मय मोहर

(नोट : जो लागू न हो उसे काट दें।)

(आय प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत किया जावें।

वेतन प्रमाण – पत्र अन्य प्रपत्र मान्य नहीं एवं आवेदन – पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।)

आय प्रमाण पत्र

(गैर वेतन भोगी / निजी व्यवसाय / निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री.. ....पुत्र / पत्नी / पुत्री .... जाति.......................... .... निवासी.. की स्वयं एवं आश्रित की सकल मासिक आय रू..............................प्रतिमाह है।

प्रथम श्रेणी दण्डनायक / कार्यपालक
मजिस्ट्रेट / राजपत्रित अधिकारी नोटरी
पब्लिक के हस्ताक्षर मय मोहर

(इस प्रमाण – पत्र पर केवल राजस्थान सरकार / भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी / कार्यपालक मजिस्ट्रेट / नोटेरी पब्लिक से हस्ताक्षर कराये जाने हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी का प्रमाण – पत्र मान्य नहीं होगा।)

आय प्रमाण पत्र

(वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री ....पुत्र / पत्नी / पुत्री .... इस विभाग में .... पद पर कार्यरत है एवं ये केन्द्र / राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र / राजस्थान सरकार के उपक्रम की नियमित कर्मचारी है। इनकी सकल मासिक आय रू. .... प्रतिमाह हैं।

स्थान : विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष

दिनाक : के हस्ताक्षर मय मोहर

विभाग / उपक्रम का नाम

विकलांग प्रमाण पत्र

यह कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री ....पुत्र / पत्नी / पुत्री .... निवासी......................... ....को मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी तथा ये शारीरिक रूप से अपंग हैं इनकी अपंगता का प्रतिशत .... है।

दिनांक : प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी

स्थान : के हस्ताक्षर मय मोहर

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण – पत्र

यह कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री .... पुत्र / पत्नी / पुत्री .... निवासी... ....तहसील ....जिला .... अधिस्वीकृत पत्रकार है।

दिनांक : निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क / प्राधिकृत

स्थान : अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर